रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1103/2026/750/22-2-2026-17(20)/2025

लखनऊ: दिनांक: 20 अगस्त, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी प्रदीप उर्फ गुड्डू (बन्दी सं0-1540/2010) पुत्र श्री होशियार सिंह, जो ग्राम-सरकडा कमाल, थाना-रजबपुर, जनपद-जे0पी0 नगर (अमरोहा) का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-141/2000, धारा-302, 364, 201 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष सत्र न्यायाधीश, जे0पी0 नगर (अमरोहा) के दण्डादेश दिनांक 06.12.2010 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 14.07.2025 द्वारा बन्दी की अपील निर्णीत करते हुए मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी के ऊपर उक्त वाद के अतिरिक्त अन्य वाद सं0(1)-261/17, धारा-406 आईपीसी, कोर्ट-ए०सी०जे०एम०, थाना-चन्दौसी, जिला-सम्भल। वाद सं0(2)-675/11, धारा-323, 504, 506 आईपीसी, कोर्ट-ए०सी०जे०एम०-05, थाना-सिविल लाइन, जिला-मुरादाबाद में पंजीकृत है। बंदी द्वारा दिनांक 22.09.2025 तक अपरिहार 15 वर्ष, 09 माह, 13 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष, 07 माह, 15 दिन की सजा भोगी जाने तथा जेल आचरण अच्छा होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-1103/2026/750(1)/22-2-2026 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा।

3- पुलिस अधीक्षक, अमरोहा।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी

अनु सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in